रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1969 (भाद्र 8, 1891)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1969 (BHADRA 8, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3

PART I—SECTION 3

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

(Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence)

रक्षा मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1969

संकल्प

सं० 2246 दिनांक 31 जुलाई 1969 पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और थल सेना के नान-रेगुलर आफिसरों की उपकारी निधि के प्रशासन में कार्य करने वाले भारतीय थल सेना के एडजुटेन्ट जनरल द्वारा दिए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 363, तारीख 6 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित थल सेना के नानरेगुलर आफिसरों की उपकारी निधि के प्रशासन की स्कीम में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपान्तरण करती है, अर्थात् उक्त स्कीम में—

(1) पैरा 1 में,

(i) खंड (ख) में, "पत्नी" शब्द के पश्चात "या पति" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ङ०) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित है किया जाएगा, अर्थात्—

"(ङ०)" आफिसर" से थल सेना का नान-रेगुलर आयुक्त आफिसर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे पुन: नियोजित नान-रेगुलर आयुक्त आफिसर आता है।"

(iii) खंड (ख) और (छ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

(च) "सचिव" से निधि का सचिव अभिप्रेत है;

(छ) "अभिदाता" से ऐसा आफिसर अभिप्रेत है जो थल सेना में अपनी सारी सेवा के दौरान निधि में संदत्त रैंकवार चन्दा देता है,

(ज) "लेखा आफिसर/कोषपाल" से निधि का ऐसा लेखा आफिसर/कोषपाल अभिप्रेत है।

(झ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।"

(2) पैरा 2 में, उप-पैरा (क) में,—

(i) खंड (i) में, शब्द "विधवाओं" के पश्चात शब्द "या विधुरों" अन्त:स्थापित किए जाएंगे,

(ii) खंड (iii) में, शब्द "घोर" लुप्त कर दिया जाएगा।

(iii) खंड (i) में, शब्द, "पत्नियों" के लिए शब्द "पत्नियां या विधुरों नयों" 'प्रतिस्थापित किए जायेंगे,

(3) पैरा 4 में, खंड (ख) में, शब्द "नान-रैगुलर आयुक्त" लुप्त कर दिए जाएंगे;

(4) पैरा 5 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात —"5 आफिसरों द्वारा चन्दे (i) थल सेना का प्रत्येक आफिसर तिमाही चन्दा देगा जो उस वास्तविक रैंक पर आधारित होगा जिसके लिए उस तिमाही की, जिसके लिए संदाय किया जाता है, पूर्वगामी तिमाही के अन्तिम दिन के दौरान वेतन

लिया जाता है। किसी आफिसर की प्रोन्नतियों, प्रतिवर्तनों, आदि के कारण जो बाद में अधिसूचित किए जाएं कोई पार्श्विक पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा। जब किसी आफिसर को हटा दिया जाए, जवाब दे दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए, सेवा निवृत कर दिया जाए, या सेवा से निर्मुक्त कर दिया जाए तब और पद-त्याग या कमीशन का परित्याग करने पर भी, चन्दे का दिया जाना बन्द हो जाएगा। दिया गया चन्दा वापस नहीं किया जाएगा;

परन्तु तिमाही के लिए संदेय चन्दे की दरें निम्नलिखित होंगी:—

द्वितीय लेफ्टिनेंट	रु० 6
लेफ्टिनेंट	रु० 6
कैप्टेन	रु० 9
मेजर	रु० 12
लेफ्टिनेंट कर्नल	रु० 15
कर्नल	रु० 18
ब्रिगेडियर	रु० 21

परन्तु यह और भी कि सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियोजित आफिसर पुनः नियोजन की समस्त कालावधि के दौरान धारित संदत्त-रैंक के अनुसार चन्दा देंगे।

(2) नव आयुक्त आफिसर उस तिमाही की बाबत, जिसके दौरान वह कमीशन में लिया जाता है आयुक्त आफिसर के रूप में अपने द्वारा लिए गए प्रारम्भ के वेतन से पहला चन्दा देगा। ऐसा चन्दा उस चन्दे के अतिरिक्त होगा जो अगली तिमाही के लिए उसके द्वारा अग्रिम रूप से संदेय है।

(3) नान-रेगुलर आयुक्त आफिसर को स्थायी कमीशन दिए जाने की दशा में उसकी नान-रेगुलर सेवा की कालावधि के लिए उस निधि के लिए वसूल किए गए चन्दे की कुल रकम थल सेना के आफिसरों की उपकारी निधि में अन्तरित कर दी जाएगी।"

(5) पैरा 13 में, शब्द "तीन सदस्यों" के लिए शब्द "पांच सदस्यों" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(6) पैरा 20 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु साधारण समिति अपनी शक्तियां साधारण समिति द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

(7) पैरा 26 में प्रथम वाक्य के पश्चात निम्नलिखित वाक्य अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"जिन आफिसरों ने अद्यतन चन्दा नहीं दिया है वे निधि में से प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए स्वयं अपने को और अपने कुटुम्ब/आश्रितों को अपात्र बना लेंगे।"

फा० सं० ए/07874/ए० जी०/पी० एस० 0-8/2054/डी० (ए० जी० 1)

राजेन्द्र जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st July 1969

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence.

No. 2246.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on the application made by the Adjutant General, Indian Army, acting in the administration of the Benevolvent Fund Army Non-Regular Officers, the Central Government hereby makes the following further modification to the Scheme for the administration of the Benevolent Fund Army Non-Regular Officers, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. 363, dated the 6th February, 1964, namely :—

In the said Scheme—

(I) in paragraph 1—

(i) in clause (b), after the word wife, the words "or husband" shall be *inserted;*

(ii) for clause (e), the following clause shall be *substituted,* namely :—

"(e) "Officer" means a Non-Regular Commissioned Officer of the Army and includes a Non-Regular Commissioned Officer so re-employed";

(iii) for clauses (f) and (g), the following clauses shall be *substituted,* namely :—

"(f) "Secretary" means the Secretary of the Fund";

(g) "Subscriber" means an officer who pays paid-rank-wise subscription to the Fund throughout his service in the Army;

(h) "Accounts Officer/Treasurer" means the Accounts Officer/Treasurer of the Fund;

(i) "Year" means a "financial year".

(2) In paragraph 2, in sub-paragraph (a)—

(i) in Clause (i), after the words "Widows", the words "or widowers' 'shall be *inserted;*

(ii) in clause (iii), the word "acute" shall be *omitted;*

(iii) in clause (iv), for the word 'wives", the words "widows or widowers" shall be *substituted;*

(3) in paragraph 4, in clause (b), the words "non-regular commissioned" shall be *omitted;*

(4) for paragraph 5, the following paragraph shall be *substituted,* namely :—

"5. Subscriptions by officers—(1) Every officer of the Army shall pay a quarterly subscription based on the actual rank for which pay is drawn during the last day of the quarter preceding that for which payment is made.

No readjustment will subsequently be made on account of promotions, reversions etc., of an officer notified later. Payment of subscriptions shall cease when the officer is removed, cashiered, dismissed, retired or released from service and also on resignation or relinquishment of commission. Contributions shall not be refunded.

Provided that the rates of subscription payable for a quarter shall be as follows :—

2nd Lieut.—Rs. 6/-.

Lieut.—Rs. 6/-.

Captain—Rs. 9/-.

Major—Rs. 12/-.

Lt. Colonel—Rs. 15/-.

Colonel—Rs. 18/-

Brigadier—Rs. 21/-.

Provided further that officers re-employed after retirement shall pay the subscriptions according to the paid-rank held during the entire period of reemployment.

(2) A newly commissioned officer shall pay the first subscription from his first month's salary drawn by him as a commissioned officer, in respect of the quarter during which he is commissioned. Such a subscription will be in addition

to the subscription payable by him in advance for the next quarter.

(3) In the event of a Non-Regular Commissioned Officer being granted a permanent commission, the entire amount of his subscription recovered for this Fund for the period of his Non-Regular Commissioned service shall be transferred to the Army Officers' Benevolent Fund;

(5) in paragraph 13, for the words "three members", the words "five members" shall be *substituted;*

(6) to paragraph 20, the following proviso shall be *added*, namely :—

"Provided that the General Committee may delegate its powers to any other Committee appointed by the General Committee";

(7) in paragraph 26, after the first sentence, the following sentence shall be *inserted*, namely :—

"Officers who have failed to pay subscriptions upto-date will render themselves and their families/dependants ineligible to receive benefits from the Fund";

F. No. A/07874/1/AG/PS.8/2054/D(AG.I)

RAJENDRA JAIN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969